भारतीय परिप्रेक्ष्य में महिला सशक्तिकरण का एक अध्ययन

प्रो० बीना राय
प्राचार्या
अवध गर्ल्स डिग्री कॉलेज, लखनऊ

सारांश

यह शोध पत्र भारतीय परिप्रेक्ष्य में महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता का विश्लेषण करने का प्रयास करता है। महिला सशक्तिकरण से अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जो महिला को समाज में उचित स्थान प्राप्त करा सके। महिलाओं का सशक्तिकरण अनिवार्य रुप से समाज में पारम्परिक रुप से वंचित महिलाओं की राजनीतिक, साामाजिक, आर्थिक स्थिति के उत्थान की प्रक्रिया है। सशक्तिकरण सामाजिक विकास की मुख्य प्रक्रिया है जो महिलाओं को ग्रामीण समुदाय के आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक विकास में भाग लेने में सक्षम बनाती है। ऐतिहासिक रुप से यदि देखा जाए तो महिलाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में अपने कीर्तिमान स्थापित किये हैं। फिर चाहे वह राजनीतिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो अथवा सामाजिक क्षेत्र हो। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात से वर्तमान समय तक महिलाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में अपनी उपलब्धि स्थापित की है। परन्तु वास्तविकता यह हैं कि भारत को स्वतंत्रता 1947 में प्राप्त हो गई थी, परन्तु अधिकांश महिलाएँ वर्तमान में भी सामाजिक सुरक्षा, रोजगार, शिक्षा एवं सामाजिक सम्मान आदि से वंचित है।

मुख्य शब्द :– महिला सशक्तिकरण, सामाजिक आर्थिक स्थिति, सामाजिक विकास।

प्रस्तुत शोध पत्र को लिखने का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता को जानना एवं भारत में महिला सशक्तिकरण की जागरुकता का आंकलन करना है। साथ ही महिला सशक्तिकरण के लिए सरकारी योजनाओं का अध्ययन करना है।

शोध पद्धति

प्रस्तुत शोध पत्र वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक प्रकृति का है। यह शोध अध्ययन द्वितीयक स्रोतो पर आधारित है।

महिला सशक्तिरण : एक परिचय

महिला सशक्तिकरण का तात्पर्य महिलाओं की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षिक आदि शक्ति को बढ़ाना है। किसी भी राष्ट्र की प्रगति एवं सर्वांगीण विकस की प्रगति तभी संभव है। जब पुरुषों के साथ–साथ महिलाओं को भी राष्ट्र की प्रगति के विकास में भागीदारी के समान अवसर प्रदान किये जायेगें। यद्यपि वर्तमान समय में महिलाएँ प्रत्येक क्षेत्र में अपना स्थान बना रही है परन्तु अभी भी उसका प्रतिनिधित्व पुरुषों की तुलना में अपेक्षाकृत कम है विशेष रुप से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के पास आनुपातिक रुप से सम्पत्ति, शिक्षा नेतृत्व एवं सामाजिक स्थिति, के रुप में महिलाएँ पिछड़ी हुई हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना मौलिक अधिकार, मौलिक कर्त्तव्य एवं नीति–निर्देशक सिद्धान्तों में लैगिंक समानता के सिद्धान्त का उल्लेख किया गया है। संविधान न केवल महिलाओं की समानता को सुनिश्चित करता है बल्कि राज्यों को महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक भेदभाव का

निर्देश देता है। लोकतांत्रिक राजनीति के स्वरुप में हमारे कानून, विकास नीतियाँ, योजनाएँ तथा कार्यक्रम को विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के उत्थान की ओर उन्मुख रखा गया है। 5वीं पंचवर्षीय योजना से लेकर वर्तमान तक महिला कल्याण एवं विकास का मुद्दा उठाया जा रहा है। वर्तमान समय में महिला सशक्तिकरण को महिला की स्थिति का एक केन्द्रीय मुद्दा माना गया है। भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1990 में संसद के अधिनियम द्वारा की गई। जिसके अन्तर्गत महिला के अधिकारों एवं कानूनी अधिकारों को सुरक्षा प्रदान की जाती है। भारतीय संविधान का 73वां एवं 74वां संशोधन में पंचायत एवं नगर निकाय के चुनावों में महिला को आरक्षण प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। जिससे स्थानीय स्तर पर उनकी भागीदारी का मार्ग प्रशस्त हो सके।

भारत अपने इतिहास और संस्कृति की वजह से पूरे विश्व में एक विशेष स्थान रखता है। हमारा यह देश सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक, सैन्य शक्ति आदि में विश्व के बेहतरीन देशों में शामिल है। वैसे तो आजादी के बाद देश की इन स्थितियों में सुधार की पहल हुई लेकिन हालिया समय में इस क्षेत्रों में पहल तेज हुई है। इसके लिए समाज के मानव संसाधन को लगातार बेहतर, मजबूत व सशक्त किया जा रहा है और समाज की आधी आबादी स्त्रियों की है, इस बाबत उनके लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। डॉ. अंबेडकर ने कहा था कि यदि किसी समाज की प्रगति के बारे में सही–सही जानना है तो उस समाज की स्त्रियों की स्थिति के बारे में जानो। कोई समाज कितना मजबूत हो सकता है, इसका अंदाजा इस बात से इसलिए लगाया जा सकता है क्योंकि स्त्रियाँ किसी भी समाज की आधी आबादी

हैं। बिना इन्हें साथ लिए कोई भी समाज अपनी संपूर्णता में बेहतर नहीं कर सकता है। समाज की आदिम संरचना से सत्ता की लालसा ने शोषण को जन्म दिया है। स्त्रियों को दोयम दर्जे के रूप में देखने की कवायद इसी कड़ी का एक महत्वपूर्ण पहलू है।

वर्तमान समय में महिला अपनी बेहतरी की ओर बढ़ रही है परंतु हमेशा से स्त्री की स्थिति इतनी निम्नतर नहीं थी। वैदिक काल से लेकर वर्तमान काल को देखें तो स्त्री ने सम्माननीय जीवन पहले भी जिया है। एक सशक्त जीवन की गवाह वह पहले भी रह चुकी है। उत्तरवैदिक काल से स्त्री की स्थिति में एकाएक बदलाव नहीं हुए। स्त्री पर अनगिनत अंकुश लगाए जाने लगे। मध्यकाल तक आते– आते स्त्री की स्थिति दयनीय हो चुकी थी। हालांकि भारतीय इतिहास में भक्ति आंदोलन के समय में महिलाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित हुआ लेकिन लगातार हो रहे आक्रमणों के बीच महिलाओं को पुनः घरों में कैद किया गया। किसी भी आक्रमण में सर्वाधिक शोषित महिलायें ही रहीं। बाद में एक हरम में कई रानियों को रखने का रिवाज सामान्य हो गया। भोग की वस्तु के रूप में तब्दील हो चुकी स्त्री दशा को सुधार करने की कोशिश फिर आधुनिक काल में ही शुरू हुई। एक लंबे प्रयास व आंदोलनों से गुजरते हुए महिलाओं ने अपने अधिकारों के लिए खुद लड़कर अपने लिए अनेक नए अवसरों का रास्ता खोला। अभी सामाजिक–आर्थिक–राजनीति और सांस्कृतिक रूप से कई जगहों पर इनके साथ समानता का व्यवहार किया जाना बाकी है, जो इस सभ्य समाज में उनका हक है।

महिलाओं के लिए संभावनाओं का बड़ा द्वार अभी भी उनके इंतजार में है जो लगातार उनके सशक्त होते रहने से ही खुल सकेगा।

महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता

भारत सरकार ने भारत में महिला को सशक्त बनाने के लिए कई प्रकार की शुरुआत की है परन्तु महिला के साथ समाज के प्रत्येक स्तर पर भेदभाव किया जाता हैं एवं उनको हाशिये पर रखा जाता है। चाहे वह सामाजिक क्षेत्र में हो, आर्थिक क्षेत्र में हो, राजनीतिक क्षेत्र में हो या फिर शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ापन हो। महिलाओं के साथ बलात्कार, अपहरण, दहेज प्रताड़ना आदि कितने प्रकार के मामले हैं। इन कारणों से उन्हें अपनी सुरक्षा एवं गरिमा को सुरक्षित रखने के लिए सभी प्रकार के सशक्तिकरण की आवश्यकता होती है। महिलाएँ पुरुषों की तुलना में कम साक्षर पायी जाती है। इस प्रकार, महिलाओं के मध्य बढ़ती शिक्षा उन्हें सशक्त बनाने में बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति को देखें तो वहाँ महिलाओं का एक बड़ा भाग शारीरिक रुप से इतना दुर्बल है कि वह अपनी क्षमता से अधिक कार्य करती है। एक और समस्या महिलाओं का कार्य स्थल पर किया जाने वाला उत्पीड़न है जिससे लैगिंक भेदभाव की भावना को बढ़ावा मिलता है।

यद्यपि प्राचीन काल से वर्तमान काल के मध्य अंतर को देखें तो महिला सशक्तिकरण में अनेक बदलाव आए हैं परन्तु अभी भी उस स्तर तक नहीं पहुँचा है जो महिला के सशक्तिकरण के लिए आवश्यक है। महिला सशक्तिकरण की अवधारणा के लिए भारतीय समाज में चली आ रही परम्पराएँ, विश्वास, मूल्य, रीति रिवाज एवं शिक्षा की प्रक्रिया आदि अनेक चुनौतियाँ है।

भारत में महिला सशक्तिकरण हेतु संवैधानिक उपबन्ध

स्वतन्त्रता के पश्चात भारत में महिलाओं को सदियों पुरानी दासता से मुक्ति दिलाने हेतु कई महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधान किये गये हैं। भारतीय संविधान के संस्थापक इस तथ्य से भली भांति परिचित थे कि इस सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था में यह कठिन हैं कि महिलाओं को जेंडर आधारित न्याय मिल सके। भारतीय संविधान में समाज के पिछड़े वर्गों के समान ही महिलाओं के लिए विशेष उपबन्धों की सिफारिश की थी। संविधान के मुख्य अनुच्छेदो जैसे : 14, 15, 16, 19, 21, 23, 25, 29, 37, 39, 39(क), 42, 51, 243(घ), 243(न) तथा अनुच्छेद 325 को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया है। ये अनुच्छेद समाज में महिलाओं को समान संरक्षण प्रदान करते हैं।

भारत सरकार द्वारा किये गये प्रयासों में राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति 2001, महिलाओं पर घरेलू हिंसा निरोधक अधिनियम 2001, भारतीय तलाक संशोधन अधिनियम 2001, परित्यक्ताओं के लिए गुजारा भत्ता संशोधन अधिनियम बिल 2001 भ्रूण हत्या रोकने हेतु अधिनियम, महिला शक्ति पुरस्कारों की घोषणा इस दिशा में सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाले सराहनीय चरण कहे जा सकते हैं। भारत सरकार द्वारा महिलाओं को आर्थिक रुप से सशक्त बनाने हेतु कई प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं की भी घोषणा की गई है। इसमें किशोरी शक्ति योजना, महिला स्वास्थ्य योजना, महिला स्वयं सिद्ध योजना, महिला उद्यमी हेतु ऋण योजना

आदि योजनाएँ प्रमुख रुप से उल्लेखनीय योजनाएँ है। पूर्व से संचालित भारत सरकार की अन्य योजनाएँ जैसे 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, उज्जवला योजना, सुकन्या योजना, कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय योजना आदि योजनाएँ संचालित है। इसके अतिरिक्त वर्तमान में महिलाओं के लिए विभिन्न विभागों एवं मंत्रालयों के द्वारा संचालित विभिन्न योजनाएँ है। जिनमें से कुछ इस प्रकार है–

1. एन०जी०ओ० की क्रेडिट योजनाएँ।
2. जेंडर बजटिंग योजना– यह एक रणनीति एवं प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य लैंगिक समानता के लक्ष्यों को प्राप्त करना है।
3. स्वालम्बन– यह कौशल प्रशिक्षण उन महिलाओं के लिए हैं जिनके पति की मृत्यु हो चुकी या अविवाहित महिलाएँ तलाकशुदा महिलाएँ जिनकी आयु 35–45 वर्ष है।
4. कामकाजी एवं बीमार माँ के बच्चों के लिए क्रेच/डे केयर सेन्टर।
5. महिलाओं के लिए प्रशिक्षण एवं रोजगार कार्यक्रम के लिए सहायता।
6. स्वयंसिद्धा– यह योजना का उद्देश्य व्यक्तिगत ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करके महिलाओं को सशक्त बनाना है।
7. कामकाजी महिला के लिए छात्रावास।
8. धनलक्ष्मी– 3 मार्च 2008 को भारत सरकार द्वारा शुरू की गई धनलक्ष्मी योजना लड़कियों की मद्द करने का एक कार्यक्रम है। इसका लक्ष्य माता–पिता को बीमा कवर प्रदान करके एवं उन्हें अपनी बेटियों को शिक्षित करने के लिए प्रोत्साहित करके बाल विवाह को रोकना है।

9. सखी योजना– सखी योजना के तहत जुड़ने वाली महिलाओं को सर्टिफिकेट एवं पुरस्कार दिया जाएगा। ये सखी गाँवों एवं शहरों में घर–घर जाकर महिलाओं की डिजिटल शिक्षा प्रदान करेगी।

10. महिला उद्यमी के लिए मौद्रिक योजनाएँ– सरकार ने महिला उद्यमियों के लिए कई सरकारी योजनाएँ शुरू की है। उदाहरण के लिए भारतीय महिला बैंक उन महिलाओं के लिए है जो अपना व्यवसाय शुरू करना चाहती है।

11. महिला शक्ति केंद्र– यह सरकार प्रायोजित कार्यक्रम कौशल विकास सहायता, डिजिटल साक्षरता, रोजगार और बहुत कुछ प्रदान करके महिलाओं को वित्तीय रूप से सशक्त बनाने के लिए 2017 में शुरू किया गया था। प्रत्येक शक्ति केंद्र (राष्ट्रीय, राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर) ग्रामीण महिलाओं को प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के माध्यम से लाभ प्राप्त करने के लिए एक इंटरफेस प्रदान करता है।

12. महिला उद्यमियों के लिए महिला–ई–हाट– महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इस कार्यक्रम को नियंत्रित करता है। 2016 में शुरू हुआ, महिला–ई–हाट एक द्विभाषी विपणन मंच है जो उभरती महिला उद्यमियों, स्वयं सहायता समूहों, गैर सरकारी संगठनों और अन्य लोगों को अपने उत्पादों और सेवाओं को बढ़ावा देने में सक्षम बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है।

13. स्त्री शक्ति– स्त्री शक्ति महिलाओं को अपना व्यवसाय बढ़ाने में मदद करने के लिए व्यक्तिगत ऋण प्रदान करती है। इस ऋण के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए महिलाओं के पास व्यवसाय का 50: हिस्सा होना चाहिए, और वे इस कार्यक्रम के तहत ?50 लाख तक के ऋण के लिए पात्र हैं। इससे

महिलाओं के लिए कंपनी चलाना आसान हो जाता है और आय का प्रवाह बढ़ता है।

14. अन्नपूर्णा योजना– भारत सरकार उन महिलाओं की सहायता के लिए कई कार्यक्रम पेश करती है जो व्यवसाय शुरू करना चाहती हैं। महिलाएं केंद्र सरकार के ऋण कार्यक्रमों में से एक के तहत तीन साल के भीतर ऋण चुका सकती हैं। कार्यक्रम को वे लोग चुन सकते हैं जो अतिरिक्त लाभ प्राप्त करने के लिए एक नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं।

15. मुद्रा योजना– मुद्रा ऋण कार्यक्रम, भारत में एक सरकारी प्रयास, उद्यमशीलता को बढ़ावा देने और सूक्ष्म और लघु उद्यमों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रयास करता है। यह महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने और आगे बढ़ाने पर विशेष जोर देता है, जिससे देश के भीतर महिलाओं के उद्यमशीलता प्रयासों को बढ़ाने में योगदान मिलता है।

16. महिलाओं द्वारा महिला उद्यमों और स्टार्ट–अप का आर्थिक सशक्तिकरण– कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत स्थापित यह पहल, महिला सूक्ष्म उद्यमियों के लिए डिजाइन किया गया एक ऊष्मायन और त्वरण कार्यक्रम प्रदान करती है, जो नए उद्यमों के लॉन्च और वर्तमान के विस्तार की सुविधा प्रदान करती है। वर्तमान में, यह कार्यक्रम असम, राजस्थान और तेलंगाना राज्यों में सक्रिय रूप से चल रहा है।

17. स्टैंड–अप इंडिया योजना– स्टैंड–अप इंडिया योजना एक सरकारी पहल का प्रतिनिधित्व करती है जिसका प्राथमिक उद्देश्य महिलाओं और हाशिए पर रहने वाले समूहों के भीतर उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है।

भारतीय सरकार के द्वारा उपरोक्त के अतिरिक्त अनेक प्रकार की योजनाएँ महिलाओं को सशक्त करने हेतु संचालित की जा रही हैं। जिनका महिलाओं के सशक्तिकरण पर सकारात्मक प्रभाव देखा भी जा सकता है। सरकार एवं उसकी विभिन्न एजेन्सियों के प्रयासों गैर–सरकारी संगठनों द्वारा पूरक माना जाता है जो महिला सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

महिला सशक्तिकरण का समाज में महत्व

महिला सशक्तिकरण एवं लैगिंक समानता प्राप्त करना हमारे समाज के लिए, देश के सतत् विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। महिलाओं के योगदान के अभाव में देश के सतत् विकास को प्राप्त करना असंभव है। सतत् विकास के अन्तर्गत पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक एवं आर्थिक विकास को स्वीकार करता है। यह सर्वविदित है कि किसी भी देश के विकास के लिए महिला एवं पुरुषों की भागीदारी समान रुप आवश्यक है। लैगिंक समानता एवं सशक्तिकरण के अभाव में सामाजिक परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए महिला सशक्तिकरण राष्ट्र के विकास में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अतः जब तक महिलाएँ स्वयं सशक्त नहीं हो पाएगी तो देश के विकास में अपना योगदान नहीं दे पायेगी।

भारत में महिला सशक्तिकरण की चुनौतियाँ और बाधाएँ

भारत में महिला सशक्तिकरण को कई चुनौतियों और बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है, जो समाज में समानता और पूर्ण भागीदारी की दिशा में उनकी प्रगति में बाधा डालती हैं।

लिंग आधारित हिंसा : घरेलू हिंसा, यौन हमला, उत्पीड़न और दहेज संबंधी अपराध महिलाओं को शारीरिक और मनोवैज्ञानिक रूप से नुकसान पहुंचाते हैं, उनकी स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करते हैं और अवसरों को सीमित करते हैं।

शिक्षा तक सीमित पहुंच : गरीबी, सांस्कृतिक मानदंड और अपर्याप्त बुनियादी ढांचे जैसी बाधाएं लड़कियों के लिए नामांकन दर को कम करती हैं, जिससे उनके कौशल अधिग्रहण और आर्थिक संभावनाओं पर रोक लगती है।

लिंग आधारित वेतन अंतर : नियुक्ति में भेदभाव, व्यावसायिक पृथक्करण, तथा नेतृत्व पदों में प्रतिनिधित्व का अभाव महिलाओं और पुरुषों के बीच वेतन असमानताओं में योगदान देता है, जिससे आर्थिक स्वतंत्रता और निर्णय लेने की शक्ति सीमित हो जाती है।

सीमित राजनीतिक प्रतिनिधित्व : राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर राजनीतिक निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम है, जिससे नीति निर्माण में महिलाओं के दृष्टिकोण और प्राथमिकताओं को शामिल करने में बाधा आती है।

सामाजिक मानदंड और सांस्कृतिक बाधाएं : गहरी जड़ें जमाए हुए पितृसत्तात्मक मानदंड, लैंगिक रूढ़िवादिता और भेदभावपूर्ण रीति–रिवाज महिलाओं की स्वायत्तता और अवसरों को प्रतिबंधित करते हैं, जिससे दृष्टिकोण बदलने और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता होती है।

महिला सशक्तिकरण : सुझाव और उपाय

महिला सशक्तिकरण का अर्थ है महिलाओ को उनके अधिकार स्वतंत्रता, और सम्मान प्रदान करना, जिससे वे समाज में अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकें । यह केवल व्यक्तिगत लाभ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज और देश के विकास के लिए भी अनिवार्य है । भारत जैसे देश में, जहॉ महिलाओं की आबादी का एक बड़ा हिस्सा है, सशक्तिकरण का महत्व और भी बढ़ जाता है । यहॉ हम महिला सशक्तिकरण के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत कर रहे हैं :

1. **शिक्षा का प्रसार :** शिक्षा महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा हथियार है । जब महिलाएं शिक्षित होती हैं तो वे अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझती हैं। लड़कियों को प्रारंभिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक प्रोत्साहित करना चाहिये। शिक्षा के क्षेत्र में लैगिक भेदभाव समाप्त किया जाना चाहिए। महिलाओं को कौशल विकास और व्यावसायिक शिक्षा देकर उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम बनाया जा सकता है ।
2. आर्थिक स्वतंत्रता महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए आर्थिक स्वतंत्रता आवश्यक है। महिलाओं को छोटे व्यवसाय, हस्तशिल्प, और कुटीर उद्योगों में प्रशिक्षण देकर स्व– रोजगार हेतु प्रोत्साहित किया जा सकता है।

सरकारी योजनाएं : सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं, जैसे मुद्रा योजना, स्वयं सहायता समूह, आदि का अधिक से अधिक लाभ उठाने के लिए महिलाओं को जागरुक किया जाना चाहिए ।

तकनीकी सशक्तिकरण : महिलाओं को डिजिटल शिक्षा और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करना सिखाया जाए ।

3. स्वास्थ्य और पोषण : महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण पर ध्यान देना महिला सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में महिलाओं के

लिए सुलभ और सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जाएं । गर्भवती महिलाओं को उचित पोषण और चिकित्सा उपलब्ध कराई जाए।

4. कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक : महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी होना जरूरी है।

घरेलू हिंसा और दहेज प्रथा : महिलाओं को इनसे बचाव के लिए कानूनी सहायता और अधिकारों की जानकारी दी जाए।

कार्यस्थल पर सुरक्षा : यौन उत्पीड़न और अन्य प्रकार के भेदभाव के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया आसान बनाई जाएं ।

समान वेतन : महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन दिलाने के लिए जागरूकता अभियान चलाए जाएं।

5. समाज में जागरूकता फैलाना : समाज में महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता और सम्मान को बढ़ावा देना महिला सशक्तिकरण के लिए आवश्यक है । बाल विवाह , दहेज प्रथा और लिंगभेद जैसी कुरीतियों को समाप्त करने के लिए सामुदायिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। पुरूषों को भी महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया में शामिल करना चाहिए, ताकि वे महिलाओं के प्रति सम्मानजनक दृष्टिकोण अपनाएं। मीडिया को महिलाओ की सकारात्मक छवि प्रस्तुत करने और उनके मुद्दों पर प्रकाश डालने की दिशा में काम करना चाहिए।
6. नेतृत्व में भागीदारी : महिलाओं को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में नेतृत्व के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। सफल महिलाओं की कहानियों को साझा करके दूसरो को प्रेरित किया जा सकता हैं। महिलाओं को राजनीति में आरक्षण और नेतृत्व की भूमिकाएं दी जाएं। महिलाओं को पंचायत, नगर निगम, और अन्य सामुदायिक संगठनों में भागीदारी के लिए प्रेरित करें।
7. तकनीकी सशक्तिकरण : आज के डिजिटल युग में तकनीक महिलाओं के सशक्तिकरण का बड़ा माध्यम बन सकती है। महिलाओं को कंप्यूटर, इंटरनेट, और स्मार्टफोन के उपयोग में दक्ष बनाया जाएं। ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म में

महिलाओं को शिक्षित करके ई–कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से आर्थिक रूप से सशक्त किया जाएं ।

सुरक्षा एप्स : महिलाओं की सुरक्षा के लिए डिज़ाइन किए गए मोबाइल एप्स और तकनीकों का उपयोग बढ़ाया जाए।

8. आत्मविश्वास और मानसिक सशक्तिकरण : महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ाना और उन्हें मानसिक रूप से सशक्त बनाना आवश्यक है। महिलाओं को आत्मरक्षा और नेतृत्व के प्रशिक्षण दिए जाएं । मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के लिए परामर्श सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं। महिलाओं को उनके उल्लेखनीय कार्यो के लिए सराहा जाए और सम्मानित किया जाए।
9. कार्यस्थल पर समानता : महिलाओं के लिए कार्यस्थल पर अनुकूल और सुरक्षित वातावरण बनाया जाना चाहिए। महिलाओं के लिए कार्यस्थल पर समान अवसर और सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं।

निष्कर्ष :

वर्तमान परिदृश्य में भारतीय महिला की स्थिति पूर्व की अपेक्षा बेहतर हुई है परन्तु उतनी संतोषजनक नहीं है जितनी आवश्यक है। आय, रोजगार एवं शैक्षिक स्तर पर उपलब्धि के क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण का परिदृश्य तुलनात्मक रुप से कम प्रतीत होता है। महिला के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव समय की सर्वोपरि आवश्यकता है। जब महिलाएँ आगे बढ़ती है तो परिवार आगे बढ़ता हैं, गाँव आगे बढ़ता है, राष्ट्र आगे बढ़ता है। महिला सशक्तिकरण आवश्यक हैं क्योंकि उनके विचार एवं उनकी मूल्य प्रणालियाँ एक अच्छे परिवार, अच्छे समाज और अन्ततः एक अच्छे राष्ट्र का विकास करती है। महिला सशक्तिकरण न केवल राष्ट्रीय स्तर पर वरन् अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी महत्वपूर्ण है। महिलाएँ दुनिया की

आधी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती हैं और हर देश में लैगिंक असमानता मौजूद हैं। जब तक महिला को पुरुषों के समान अवसर नहीं दिए जाते, तब तक विश्व कभी प्रगति नहीं कर पाएगा।

अतः सारतः कहा जा सकता है कि भारत सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण की दिशा में अनेक प्रयास किये गये जिनके परिणाम आगामी वर्षों में दिखाई देगें। इन परिणामों की सार्थक अपेक्षा तब ही की जा सकती है। जब इन प्रयासों को उत्साह एवं प्रतिबद्धता के साथ संचालित किया जा सके तथा इन उठाये ये कदमों का समय–समय पर मूल्यांकन होता रहे। इसके लिये महिला को अधिक से अधिक शिक्षित एवं सशक्त होना होगा ताकि अपने अधिकारों के प्रति वह जागरुक हो सके एवं अपनी लड़ाई स्वयं लड़ सके। तभी वास्तविक रुप में महिला सशक्तिकरण की दिशा में किये गये प्रयास सार्थक कहे जाएँगे।

संदर्भ सूची

1. Annapurna Nautiyal, Himanshu Bourai (2009). 'Women Empowerment in Garhwal Himalayas: Constraints and Prospects', Kalpaz Publications, Delhi.
2. Brady, Martha (2005). Creating Safe Spaces and Building Social Assets For Young Women In the Developing World : A New Role for Sport. Women's Studies Quarterly 2005, vol. 33, no. 1 & 2.
3. Christabell, P.J., (2009). 'Women Empowerment through Capacity Building the Role of Microfinance', Concept Publishing Company, New Delhi.
4. Dandikar, Hemalata. (1986). Indian Women's Development: Four Lenses, South Asia Bulletin, VI (1), 2-10. Delhi.
5. Dr. Dasarati Bhuyan (2006). "Empowerment of Indian Women: A challenge of 21st Century" Orissa Review.
6. Handy, F., & Kassam, M. (2004). Women's empowerment in rural India. Paper presented at the ISTR conference, Toronto Canada.
7. Harriet B. Presser, Gita Sen, (2003). 'Women's Empowerment and Demographic Processes', Oxforf University Press, New York.
8. Kabeer, N. (1995). Targeting women or transforming instituions? Policy lessons from NGO antipoverty efforts. Development in practice 5(2), 108-116.

9. Kabeer, N. (2005). Gender Equality and Women's Empowerment: A Critical Analysis of the third Millenium Development Goal. Gender and Development 13(1), 13-24.

10. Kabeer, Naila. (2003). Reversed Realities: Gender Hierarchies in Development Thought. London, Verso, Pp-69-79, 130-136.

11. Kachika, T. (2009). Women's Land Rights in Southern Africa: Consolidated Baseline Findigns from Malawi, Mozambique, South Africa, Zambia and Zimbabwe. London : Niza and Actiona AID International.

12. Kishor, S. and Gupta, K. (2009). Gender Equality and Women's Empowerment in India, National Family Health Survey (NFHS-3) India, 2005-06, International Insitutute for Population Sciences, Deonar, Mumbai.

13. Lennie, J. (2002). Rural women's empowerment in a communic-ation technology project: some contradictory effects. Rural Society, 12(3), 224-225.